

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 560]** No. 560] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2016/श्रावण 21, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2016/SRAVANA 21, 1938

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 788 (अ) .— केन्द्रीय सरकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 (जिसे इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में, उप-नियम (1) के, परंतुक में "पद धारण कर सकेंगे" शब्दों के स्थान पर "पद धारण नहीं कर सकेंगे" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. मूल नियम के नियम 70 में
  - (क) उप-नियम (6) में "िकन्हीं मालों के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "िकन्हीं मालों या सेवाओं के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे।

3997 GI/2016 (1)

- (ख) उप-नियम (II) में "उप नियम (7)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपनियम (10)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- 4. मूल नियम की पहली अनुसूची में, प्रारूप 14 के मद 14 में "प्रविष्टियों के कथन" शीर्षक के अधीन "किसी माल के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "किन्हीं मालों या सेवाओं के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9-1/2015-सीआरबी/एल.यू.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 172 (अ) तारीख 14 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Industrial Policy and Promotion)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2016

**G.S.R. 788(E)** .— In exercise of the powers conferred by section 78 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Copyright Rules, 2013, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Copyright (Amendment) Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Copyright Rules, 2013 (herein after referred to as the principal rules), in rule 3, in sub-rule (1), in the proviso, for the words "other member shall hold office", the words "other members shall not hold office", shall be substituted.
- 3. In rule 70 of the principal rules, -
  - (a) in sub-rule (6), for the words, "in relation to any goods", the words "in relation to any goods or services", shall be substituted.
  - (b) in sub-rule (11), for the words and figures, "sub-rule (7)", the words and figures "sub-rule (10)", shall be substituted.
- 4. In principal rules, in the First Schedule, in FORM XIV, under the heading 'Statement of Particulars', in item 14, for the words "in relation to any goods", the words "in relation to any goods or services", shall be substituted:

[F. No. 9-1/2015-CRB/L.U.]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide number* G.S.R. 172 (E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2013.